



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15/11/24

पत्रावली पेश हुई। वक्तुनाया रुप में  
वकीलवादी को तहवी पेश करने  
हेतु अतिम अवसर प्रदान किया गया,  
मगर आदिनाउ अब वकीलवादी ने तहवी  
पेशी नहीं की। दूसरे प्रकार बहुत  
पुराना होने एवं वकीलवादी द्वारा  
तहवी पेश नहीं करने के कारण  
उक्त प्रा. पत्र में आदेश-9, नियम-5  
के तहत खारिज किया जा रहा है।

पत्रावली में अंतिम अंश देखा, जम्मा  
के अंश देखा बाद जाया शरिफ  
दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) खींवसर